

17/22

पत्राची पेश दुई वकील वरी अनुषंग
 सामान्य सभ ते तीन वार सक-सक
 का समय पुनरार पत्र ती कोर उपस्थित
 नही। पत्राची का अचलान किना पूर्व
 आदेशाको व अनुसूच त लयी पेश-कारो हेतु
 पत्राच सामान्य एव दिने 29.8.22 का अर्थान
 सामान्य पुनरार का पत्र ती त लयाना समान
 पेश नही किने सभ ता ही कारो म अचल
 काय। सामान्य आदेश 9 दिना 30.8
 सीपीसी, अचल वार खासिय करनी
 उचित माननी हे। अतः वार खासिय
 किना मान हे। पत्राची कमल सुभार होकर
 का व पत्र व वकील वासिल पत्रार हे।

ON/
 उपसण्ड अधिकारी
 झालावाड